**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।**
**अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–333/2026**
(CNR No.UPBH01000688–2026)

1. श्यामलाल आयु करीब 50 साल पुत्र बाबादीन,
2. चम्पा देवी आयु करीब 46 साल पत्नी श्यामलाल,
   निवासीगण–लोनियनपुरवा, दा०–गौरिया, थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच।

---आवेदक/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य--- ---अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–220/2025,
धारा–105 बी०एन०एस०,
थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच।
---

**निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र**

**10.03.2026**

**1.** थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–220/2025, अन्तर्गत धारा–105 बी०एन०एस० के प्रकरण में अभियुक्तगण श्यामलाल व चम्पा देवी की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है।

**2.** आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि उनका अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय में प्रथम है। उनका कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय एवं किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

**3.** अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

**4.** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी भुलई ने न्यायालय पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० इस आशय का दिया कि उसका लड़का अंकित आयु 04 साल दिनांक–01.03.2025 को सायं करीब 04:00 बजे उसके पड़ोसी रामू की छत पर खेल रहा था। विपक्षीगण श्यामलाल व चम्पा देवी का घर भी रामू के घर के पास ही है। अंकित को छत पर खेलता देखा दोनों लोग रामू की छत पर पहुंच गये और उससे पुरानी रंजिश की वजह से विपक्षीगण ने अंकित को छत से नीचे ढकेल दिया, जिससे अंकित सिर के बल गिरा और उसके सिर मे चोट आई। उसके व परिजनों द्वारा तत्काल मोटरसाइकिल पर बैठाकर जिला अस्पताल बहराइच लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव के विपक्षीगण के पैरोकारों द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाकर उसका दाह–संस्कार करा दिया गया, बाद में उसके आवेदन पर स्वर्गीय अंकित की लाश को खोदवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया।

**5.** वादी के उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० के आधार पर न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक–12.12.2025 को समय 12:58 बजे आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–220/2025, अन्तर्गत धारा–105 बी०एन०एस० के अपराध में थाना–रानीपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

**6.** आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुये कहा कि दिनांक–01.03.2025 को समय करीब 04:00 बजे दिन में रामू की छत पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिसमें वादी का लड़का अंकित भी था। खेल–खेल में अंकित नीचे गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई। उसने अपने दरवाजे से अंकित को गिरते देखा तथा दौड़कर उठा लिया, तब तक वादी भुलई भी वहां आ गये और उसने अंकित को अपनी गोदी से भुलई को दे दिया और भुलई जिला अस्पताल बहराइच लड़के को लेकर इलाज हेतु चले गये बरवक्त घटना मौके पर वादी

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:19:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

श्यामलाल की पत्नी नहीं थी, शुक्र बाजार चौहारे पर सामान लेने गई थी। डॉक्टर द्वारा लड़के को मृत घोषित करने पर वादी लड़के को घर लाये और कई लोगों के समक्ष दफन कर दिया तथा कोई संलिप्तता घटना में आवेदक/अभियुक्तगण की नहीं बतायी। घटना के कुछ दिन बाद पूर्व प्रधान जगदीश मौर्य, जिनका आदमी भुलई है, जिसने रिपोर्टकर्ता को बुलाकर अंकित(मृतक) की लाश खोदवाने का प्रार्थना–पत्र दिलाया। लाश कब्र से खोदी गई। पोस्टमार्टम में सिर में चोट लगना साबित हुआ (जो छत में गिरने के कारण था) और इसी आधार चुनावी रंजिश के कारण न्यायालय पर प्रार्थना–पत्र दिलाया गया। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना के सम्बन्ध में कोई चश्मदीद निष्पक्ष गवाह नहीं है। वे अत्यन्त गरीब हैं। आवेदक/अभियुक्त श्यामलाल विगत करीब 04 माह से गम्भीर क्षय रोग से पीड़ित है। आवेदिका/अभियुक्ता चम्पा के अलावा उसको कोई अन्य दवा–इलाज व खाना–पानी देने वाला नहीं है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जामनत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

**7.** राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच व वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये संयुक्त रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश के कारण वादी भुलई के अवयस्क पुत्र अंकित को रामू की छत से नीचे ढकेल दिया, जिससे अंकित के सिर में गम्भीर चोट आई। अवयस्क अंकित को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आवेदक/अभियुक्तगण के पैरोकारों द्वारा वादी पर दबाव बनाकर अंकित का दाह–संस्कार करा दिया गया। बाद में वादी के आवेदन पर अंकित के शव को निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित की मृत्यु, मृत्यु पूर्व सिर में आई चोट से कोमा में जाने के कारण होना उल्लिखित है। वादी व अन्य साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन विवेचक को दिये अपने–अपने बयानों में किया है। आवेदक/ अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की दशा में उनके द्वारा विवेचना में सहयोग न किये जाने तथा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना है। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/ अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**8.** पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अभियोग है कि उन्होंने अपने सामान्म आशय के अग्रसारण में वादी भुलई के चार वर्षीय पुत्र अंकित को पुरानी रंजिश के कारण रामू की छत से नीचे गिराकर गैर–इरादतन हत्या कारित किया। केस डायरी के साथ पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा जिलाधिकारी बहराइच को प्रेषित पत्र दिनांकित–12.03.2025 की प्रति एवं कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट बहराइच को प्रेषित पत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट सदर बहराइच द्वारा नायब तहसीलदार सदर बहराइच को प्रेषित पत्र दिनांक–25.03.2025 की प्रति संलग्न है, जो मृतक अंकित के दफनाये गये शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराये जाने के सम्बन्ध में हैं। संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक अंकित के शव का पोस्टमार्टम दिनांक–30.03.2025 को किया गया, जिसमें मृतक के सिर के बायें फ्रन्टो टेम्पोरल क्षेत्र में कंज्यूजन होना एवं उक्त चोट के कारण कोमा में जाने से मृत्यु होना उल्लिखित है। केस डायरी के पर्चा सं०–2 में वादी भुलई ने विवेचक को दिये अपने बयान में अपने चार वर्षीय पुत्र अंकित को सायं करीब 04:00 बजे पड़ोसी रामू की छत पर खेलने, आवेदक/ अभियुक्तगण का घर रामू के घर के पास होने, अंकित को छत पर खेलते देखकर आवेदक/ अभियुक्तगण के छत पर पहुंचकर पुरानी रंजिश के कारण अंकित को छत से नीचे ढकेल देने, अंकित के सिर के बल गिरने से सिर में चोट आने, वादी व उसके परिजनों द्वारा अंकित को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जिला अस्पताल, बहराइच लाने, जहां डाक्टरों द्वारा अंकित को मृत घोषित कर देना, आवेदक/अभियुक्तगण के पैरोकारों द्वारा उस पर दबाव बनाकर अंकित का दाह–संस्कार करा देने, उसके आवेदन पर अंकित की लाश को खुदवाकर पोस्टमार्टम करवाने का अभिकथन किया है। स्वतंत्र गवाहों रामतेज, हरिश्चन्द्र, लक्ष्मी देवी व सुभद्रा देवी ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयानों में आवेदक/अभियुक्तगण के मौके पर मौजूद होने का कथन किया है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पुलिस आख्या में आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त मुकदमा अपराध सं०–87/2024, धारा–323, 427, 504, 506 भा०द०सं० दर्शित किया गया है। मामले की विवेचना प्रचलित है तथा साक्ष्य संकलित होना शेष है।

अभियोजन का यह तर्क है कि यदि आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया गया तो वे जमानत की शर्तों का उल्लंघन करेंगे, साक्षियों के डरायेंगे, धमकायेंगे एवं उनके पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भाग जाने की प्रबल सम्भावना है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्तगण को धारा–482 बी०एन०एस०एस० का लाभ दिया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

**9.** अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण श्यामलाल व चम्पा देवी की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–220/2025, अन्तर्गत धारा–105 बी०एन०एस०, थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

**(राजेश कुमार सिंह)**
**सत्र न्यायाधीश, बहराइच।**

**दिनांक–10.03.2026**
**I.D. UP–2017**